क्रमांक: पुराना अभिलेखागार/रद्दी बिक्री निविदा/2022/02 दिनांक:12/04/2022

निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी सीमित निविदा सूचना क्रमांक पुराना अभिलेखागार/ रद्दी बिक्री निविदा/ 2022/01 दिनांक 01/04/2022 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1. इस निविदा को सीमित निविदा के स्थान पर खुली निविदा माना जावे।
2. इस निविदा मे छतीसगढ़ राज्य तथा अन्य राज्य के पंजीकृत ठेकेदार भाग ले सकेंगे। निविदा आवेदन के साथ जीएसटी पंजीयन क्रमांक, आयकर निस्तारण प्रमाणपत्र, तथा निविदा मे दर्शाये गए सुरक्षा निधि राशि की जमा रसीद अपलोड किया जाना होगा।
3. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालीन समय मे 500/- नगद देकर प्राप्त किया जा सकता है जो कि वापसी योग्य नही होगा।
4. निविदा प्रपत्र बिक्री दिनांक 19/04/2022 शाम 05:00 बजे तक की जाएगी।
5. निविदा संबन्धित दस्तावेज़ बंद लिफाफे में दिनांक 22/04/2022 को समय 03:00 बजे तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ पुराना अभिलेखागार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छ:ग: रायपुर के पास रखे बॉक्स मे डालना होगा। 03:00 बजे के बाद बॉक्स सील कर दिया जाएगा एवं उसके बाद गठित कमेटी के द्वारा दिनांक 22/04/2022 शाम 04:00 बजे उपस्थित वेंडर/प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा यह निविदा सीपीपी पोर्टल तथा कार्यालय वैबसाइट पर अपलोड की जाती है।
6. निविदा के शर्तो/नियमो की जानकारी सीपीपी पोर्टल एवं इस कार्यालय के वैबसाइट (https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en) से ली जा सकती है।
7. निविदा के अन्य नियम तथा शर्ते पूर्ववत रहेगी।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पुराना अभिलेखागार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़,
<u>जीरो प्वाईंट, विधान सभा के पास, रायपुर</u>

क्र. ए.जी.सी.जी. / पुराना अभिलेख /   दिनांक :

/ / निविदा नियम एवं शर्ते / /

इस कार्यालय में उपलब्ध पुराने कागज की रद्दी को वर्ष 2022 के लिये क्रय करने बाबत् निविदा देने के लिए निविदा कर्ताओं को निम्नलिखित निविदा नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा :–

1) निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में रखकर वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, के नाम से पंजीकृत डाक से इस कार्यालय को भेजी जावे अथवा निविदा पेटी में डाली जावे। ये निविदायें दिनांक 22-04-2022 समय 3.00 बजे अपरान्ह तक इस कार्यालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पुराना अभिलेखागार के कक्ष में स्वीकार की जावेगी। उसके पश्चात दिनांक 22-04-2022 को उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपरान्ह 4:00 बजे निविदा खोली जायेगी। इस प्रकार प्रस्तुत की गयी एवं खोली गई निविदा इस कार्यालय द्वारा निर्णय लिये जाने तक वापस नहीं ली जा सकेगी।

2) निविदाकर्ताओं द्वारा "<u>निविदि पुराने कागज की रद्दी क्रय के बारे में है।</u>"– लिफाफे के ऊपर सुस्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिये। निविदाकर्ताओं को एक अन्य लिफाफे में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रूपये 25000/– हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो वेतन एवं लेखा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम देय हो, प्रतिभूति राशि के रूप में रखकर अलग से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3) निविदा स्वीकृति के बाद सफल निविदाकर्ता को रद्दी की कुल अनुमानित मूल्य की राशि के 5 प्रतिशत के दर से Performance Security Money प्रस्तुत करने होंगे। यह सुरक्षा राशि खाता अदाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के FDR के रूप में, जो वेतन एवं लेखा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम देय होगा एवं निविदा अनुबन्ध रूपये 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। सुरक्षा राशि ठेकेदार के संतोषजनक कार्य करने की स्थिति एवं अनुबंध की अवधि में कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न करने पर वापिस कर दी जावेगी।

4) सफल निविदाकर्ताओं के द्वारा निविदा अनुबंध करने व सुरक्षा राशि जमा करने पर ही कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जायेगा और निविदा देने के समय जमा कराई गई प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी। यदि सफल निविदाकर्ता निविदा खोलने के दिनांक के दूसरे दिन से 10 दिन के अंदर सुरक्षा राशि जमा कर कार्य हेतु अनुबंध निष्पादित नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। अनुबंध के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ न करने अथवा अनुबंधानुसार कार्य न करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुये उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी।

5) सफल निविदाकर्ताओं को प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर के पुराना अभिलेखागार में दिनांक........................ तक समय–समय पर एकत्रित होने वाली रद्दी को अधोलिखित मदों में विनिदृष्ट शर्तों जो अनुबंध में शामिल की जावेगी, के अधीन हटाना होगा। रद्दी के लिये प्रति क्विंटल की दरों का स्पष्ट उल्लेख अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा में किया जाना होगा।

(अ) पुराने कागज की रद्दी (साबुत) (Torn paper) को ठेकेदार के व्यय पर चार टुकड़ों में फाड़कर ही हटायी जावेगी। उपरोक्त रद्दी को बोरों में भरवाने ट्रक में लोडिंग–अनलोडिंग कराने व धर्मकाटे पर तौल करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व उस पर होने वाला सभी खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा। तुलवाई का कार्य सामान्य कार्यालयीन समय में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) रायपुर द्वारा एतर्थ हेतु मनोनित अधिकारियों की उपस्थिति तथा पर्यवेक्षण में किया जावेगा।

6) प्रत्येक प्रेषण (कन्साइन्मेट) की कीमत की पूरी राशि निविदत्त एवं स्वीकृत प्रति क्विंटल की दर से प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के वेतन एवं लेखा अधिकारी (Pay & Account officer) के नाम भुगतान आदेश (Pay Order) प्रपत्र के रूप में भुगतान के पश्चात् ही रद्दी को ले जाया जाना अनुमत्य होगा। कोई भुगतान नगद या चैक के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। भुगतान आदेश (Pay Order) प्राप्त करने हेतु सभी बैंक शुल्क ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जावेगा।

7) ठेकेदार द्वारा रद्दी कागज को बांधने के लिये आवश्यक उपकरण जैसे पर्याप्त मात्रा में बोरों की संख्या सुतली या मजदूर आदि का प्रबंध स्वयं ठेकेदार को ही करना होगा। अभिलेख को चार टुकड़ों में फाड़ने तथा बंधाई का कार्य ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूरों द्वारा ठेकेदार की लागत पर किया जावेगा।

बोरी भरते समय छंटनी की गई रंगीन कागज, गत्ता पुट्ठा, फाईल कभर आदि सभी प्रकार के रद्दी ठेकेदार को लेना होगा।

ठेकेदार यदि अपनी मनचाहा रद्दी उठाने के बाद कचरा कहकर कोई रद्दी छोड़के जायेंगे तो उस स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई Performance Security Money को जप्त कर लिया जाएगा।

8) ठेकेदार द्वारा करार अनुबंधित होने के दिनांक के तुरन्त बाद ऊपर पैरा (7) में दिये अनुसार रद्दी को उठाने का कार्य प्रारम्भ करना होगा। ठेके की सम्पूर्ण रद्दी को एक महीने में हटाये जाने में असफल रहने पर प्रतिदिन विलम्ब हेतु रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) का दण्ड प्रभारित किया जावेगा। यदि दण्ड प्रभारित करने के बावजूद भी 15 दिन तक उक्त सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से जमा की गयी सम्पूर्ण राशि (सुरक्षा राशि सहित) कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जप्त (फोरफीट) कर ली जावेगी। रद्दी हटाने का कार्य केवल कार्य दिवस में ही प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जा सकेगा।

9) ठेकेदार द्वारा लगाये गये कामगार संक्रामक और संष्पर्शी बीमारी से मुक्त होना चाहिये। सभी कामगार कोविड डिस्टेंस का पालन करते हुए फेस मास्क/कवर लगाकर तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कार्यालय में प्रवेश करेंगे। अपने कामगारों के आचरण और व्यवहार के लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और उसकी गलती या लापरवाही के कारण हुई हानि या टूट–फूट की क्षतिपूर्ति सरकार को ठेकेदार द्वारा करनी होगी। यदि कोई कामगार कार्यालय परिसर में ठेके में असम्मिलित पुराने कागजों आदि को हटाते पाया जावेगा, तो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के विवेकानुसार ठेकेदार पर दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

10) अवांछनीय प्रतीत होने वाले किसी कामगार के कार्यालय परिसर में प्रवेश को बिना कारण बताये वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) छत्तीसगढ़ निषिद्ध कर सकेंगे।

11) ठेके की किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा किसी भी कारण से जमा की गयी सम्पूर्ण राशि को प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ठेके का सन्दर्भ दिये बिना ही राजसात (फोरपीट) करने के लिये अधिकृत होंगे।

12) ठेके की शर्तों के अनुसार रद्दी कागजों के लिये भुगतान में ठेकेदार द्वारा कोई चूक होने पर या रद्दी को उठाने में चूक करने की दशा में प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर आगे वर्णित कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होंगे तथा ठेकेदार को सूचना जारी करने के पश्चात जब भी वे उचित समझें, रद्दी कागजों आदि को पुनः बेच दें और पुनः बेचने के कारण होने वाली हानि

की वसूली करार को प्रभावित किये बिना ठेकेदार से कर सकेंगे। अथवा ऐसी चूक को करार का उल्लंघन मानते हुए ठेकेदार को लिखित सूचना देकर ठेके को राजसात (फोरफीट) कर सकेंगे और इसके अतिरिक्त इस ठेके के उल्लंघन के कारण हुई हानि की वसूली भी कर सकेंगे।

13) ठेकेदार द्वारा नियमानुसार कार्य न करने अथवा अनुबंध में दिये गये समय तक रद्दी न उठाने पर ठेकेदार को असफल घोषित तथा ब्लैक लिस्ट करके उसकी जमा सम्पूर्ण राशि को प्रतिभूति राशि सहित मय ब्याज के (बैंक से मिलने वाला ब्याज) जमा (फोरफीट) कर लिया जावेगा।

14) प्रतिभूति जमा के संबंध में सरकार के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

15) वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर समय–समय पर प्रसारित अनुपूरक शर्तें एवं नियमों को ठेकेदार को मान्य करना होगा।

16) अनुबंध के अन्तर्गत आने वाले समस्त विवाद अन्तर तथा प्रश्न या किसी प्रकार से उससे जुड़े हुए या विषयान्तर्गत या संबंधित कर्तव्य या दायित्व और या पक्षकारों के अधीन या अनुबंध के संबंध में उठने वाले सभी विवादों को एक मात्र मध्यस्थ प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर को सन्दर्भित किये जावेंगे और यदि महालेखाकार एक मात्र मध्यमस्थ के रूप में कार्य करने के अनिच्छुक हो तो अन्य किसी व्यक्ति को महालेखाकार द्वारा एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जावेगा, जो मध्यस्थ के रूप में काम करने का इच्छुक होगा। इस प्रकार की नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी कि महालेखाकार या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी हैं और इसे अनुबंध से संबंधित मामलों को निपटान करना होगा और इस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के दौरान विवादित सभी या किसी एक मामले या अन्तरों पर प्रश्नों के संबंध में विचार अभिव्यक्त करेगा और प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर अथवा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

17) यदि किसी समय यह प्रतीत हो कि ठेकेदार की ओर से या उसके प्रतिनिधि द्वारा (ठेकेदार की जानकारी में या बिना जानकारी के साथ) सरकार के किसी अधिकारी, प्रतिनिधियों या एजेन्टों को निविदा डालते एवं अनुबंध निष्पादित कराने के दौरान कोई रिश्वत दलाली, उपहार या पेशगी देने अथवा दिये जाने का दावा करेगा अथवा इसका प्रयास करेगा तो प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर ठेकेदार पर आपराधिक दायित्व आरोपित कर सकेंगे एवं अनुबंध को निरस्त कर सकेंगे।

18) ऊपर दी गयी शर्तें मुख्यतः संघ सरकार के हित में सरकार की ओर से कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्यालय के हितों की सुरक्षा के लिये है, जो सरकार की ओर से इनका कड़ाई से पालन कराते हैं। और कोई भी अनुग्रह या रियायतें, जो सरकार की सूचना बगैर ठेकेदार को दी जा सकती है, उन समस्त अनाधिकृत या रियायतों के विरूद्ध सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अधीन की जाने वाली कार्यवाही से बचाव के लिये ठेकेदार को किसी चूक अनुग्रह अथवा रियायतें की दलील देने का अधिकार नहीं होगा।

19) शासन को देय समस्त करों का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

20) निविदाकर्ता कार्यालयीन समय में विक्रय किये जाने वाले रद्दी कागज की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं।

21) ठेकेदार उनके सहयोगी तथा उनके द्वारा लगाए गए प्रत्येक कामगार, कार्यालय परिसर में एवं कार्यालय के अंदर मास्क पहना होना चाहिए। कामगार लोग सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए अपना कार्य करेंगे।

22) यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23) दिनांक ...19-04-2022... अपरान्ह 5:00 बजे तक निविदा प्रपत्र दिया जावेगा।

संलग्न :– निविदा प्रपत्र।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर